

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय: हल्द्वानी
कुलसचिव कार्यालय

पत्रांक:- यूओयू/आर/का0परि0(34वीं) 2022

दिनांक 26.04.2022

वित्त नियंत्रक

विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 08 अप्रैल, 2022 में पारित प्रस्ताव जो निम्नवत् है, आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-


प्रस्ताव संख्या 34.12- विश्वविद्यालय वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक 26 मार्च, 2022 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक 26 मार्च, 2022 की संस्तुतियों पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त के अतिरिक्त कतिपय बिन्दुओं पर चर्चा उपरान्त निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-

1. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5 देहरादून शासनादेश संख्या-813/XXVIII(5)/2021-116 2003 टी0सी0, दिनांक 04 जनवरी, 2021 को अंगीकृत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया तथा यह व्यवस्था दी गयी कि यह शासनादेश कार्य परिषद की सम्पन्न 34वीं बैठक दिनांक 08 अप्रैल, 2022 की अगली तिथि दिनांक 09 अप्रैल, 2022 से विश्वविद्यालय में प्रभावी होगा।
2. बाह्य सेवा प्रदाता संस्था उपनल के माध्यम से विश्वविद्यालय में नियोजित चतुर्थ श्रेणी कार्मिक श्री नवीन जोशी को वाहन चालक (एम0टी0एस0) के कार्य हेतु परीक्षा मद से ₹1000/- प्रतिमाह अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (पारिश्रमिक) के रूप में भुगतान कर दिया जाय।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।


कुलसचिव/ सचिव, कार्य परिषद

प्रतिलिपि:- कुलपति जी के वैयक्तिक सहायक को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

श्री विमल
20/4/2022


उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के दिनांक 26.03.2022 को सम्पन्न वित्त समिति की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की 14वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.03.2022 को पूर्वाह्न 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न आन्तरिक एवं बाह्य सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. प्रोफेसर ओमप्रकाश सिंह नेगी, अध्यक्ष
मा0 कुलपति जी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।
2. प्रोफेसर संदीप कुमार शर्मा, प्रभारी निदेशक उच्च शिक्षा सदस्य
उत्तराखण्ड(प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन)
3. श्रीमती जयन्ती ह्यांकी, सदस्य
वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय
(प्रतिनिधि सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन)
4. प्रो0 पी0एस0 बिष्ट, सदस्य
विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग,
एस0एस0जे0 विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा (कार्यपरिषद सदस्य)।
5. श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक, सदस्यसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
6. प्रोफेसर पी0 डी0 पन्त, विशेष आमंत्रित सदस्य
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।
7. श्री विमल कुमार मिश्र, उपकुलसचिव (वित्त) आमंत्रित सदस्य
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. श्रीमती पूनम आर्या, सहायक कुलसचिव(वित्त) आमंत्रित सदस्य
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष वित्त समिति (कुलपति जी) द्वारा बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों प्रोफेसर संदीप कुमार शर्मा, श्रीमती जयन्ती ह्यांकी एवं प्रोफेसर पी0 एस0 बिष्ट का स्वागत करते हुए उनका विशेष आभार व्यक्त किया, तदुपरांत विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्रिया-कलापों की संक्षिप्त जानकारी सभी सदस्यों के सम्मुख रखी। तत्पश्चात सदस्य सचिव वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 15वीं बैठक की कार्यवाही

1


Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haridwar (Nainital)


कुलपति

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रारम्भ की गयी। वित्त समिति के सम्मुख कार्य सूचीनुसार प्रस्तुत 10 प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति दी गयी—

मद संख्या 15.01— वित्त समिति की, 14वीं बैठक दिनांक—06 फरवरी, 2021 को सम्पन्न हुई, के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सचिव वित्त समिति द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की 14वीं बैठक दिनांक 06 फरवरी, 2021 में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। प्रेषित कार्यवृत्त पर कोई सुझाव/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ, तदनु रूप समिति द्वारा सर्वसम्मति से 14वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या 15.02 — वित्त समिति की, 14वीं बैठक दिनांक—06 फरवरी, 2021 को सम्पन्न हुई, में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही

सचिव वित्त समिति द्वारा वित्त समिति की 14वीं बैठक में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे समिति अवगत हुई एवं विश्वविद्यालय स्तर से बिन्दुवार कृत कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।


मद संख्या—15.03 वित्तीय वर्ष 2020—21 का वास्तविक आय—व्यय विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2021—22 का अनुमानित आय—व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2022—2023 के लिए विभिन्न व्यय मदों हेतु बजट प्रस्ताव।


समिति के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2020—2021 का आय—व्ययक विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2021—2022 का अनुमानित आय—व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा बजट विवरण वित्तीय वर्ष 2020—2021 तालिका का अवलोकन कर आय—व्यय की पुष्टि की गयी एवं वित्तीय वर्ष 2021—2022 का अनुमानित आय—व्ययक विवरण का अवलोकन किया गया तथा वर्ष 2022—2023 के आय—व्ययक प्रस्ताव जो शासन को प्रेषित किया गया था का अनुमोदन किया गया। शासन स्तर से वेतन, भत्ते एवं अन्य व्ययों हेतु बजट आवंटित किया जाता है, परन्तु यह राशि वेतन, भत्ते एवं अन्य व्ययों हेतु पर्याप्त नहीं होती है, तथापि शासन से यथासमय बजट अवमुक्त नहीं हो पाता है। बजट प्राप्ति में विलम्ब व आहरण प्रक्रिया में लगने वाले समय के दृष्टिगत विश्वविद्यालय हित में स्वयं के आय स्रोतों (शुल्कादि) से प्राप्त आय से कार्मिकों के वेतनादि तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का वित्तीय भार भी वहन करना होता है। इस हेतु मांग को पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय के शुल्कादि मद में उपलब्ध धनराशि को प्राप्त अनुदान की प्रत्याशा में व्यय किया जाता है। समिति द्वारा विश्वविद्यालय के आवश्यक व्यय को शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान की प्रत्याशा में शुल्कादि मद से व्यय किये जाने व अनुदान उपरान्त समायोजन किए जाने की भी सहमति प्रदान की गयी।

समिति ने विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बेहतर वित्तीय नियोजन तथा विद्यार्थियों एवं आवश्यकतानुसार शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022—2023 में विश्वविद्यालय के आय स्रोतों से विभिन्न मदों में कुल धनराशि ₹0 68,83,50,000/— का बजट प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण माना साथ ही शैक्षिक कार्मिकों हेतु नियमानुसार देय तीन—पाँच अतिरिक्त वेतनवृद्धियों हेतु व्यय विवरण भी बजट में प्राविधानित किये जाने हेतु अनुशंसा की गयी एवं वित्तीय वर्ष 2022—2023 के बजट प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी एवं व्यय में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की भी अपेक्षा की गयी।

EXPENDITURE DETAILS/BUDGET PROPOSAL 01-04-2022 TO 31-03-2023

Sl no	Head	Proposal for 2022-2023
A	Grant from Salary (05)	196,300,000.00
	Total (A)	196,300,000.00
B	Grant from Capital Assets (55)	91,800,000.00
	Total (B)	91,800,000.00
C	Grant from Non-Salary(56)	
1	Advertisement	1,900,000.00
2	Comp. Maint./Stationery Exp./Res. &Dev. H/w & Tech	1,400,000.00
3	Convocation / Other / Library	2,500,000.00
4	Electricity Expenses	1,700,000.00
5	Exam Exp. / Legal Exp.	65,000,000.00
6	Fee Share to Study Centre	140,000,000.00
7	Food / Refreshment Exp.	50,000.00
8	General Maintenance	1,600,000.00
9	Guest Exp. & Allow./Student Supp. System	4,000,000.00
10	Office Expenses	6,000,000.00
11	Office Furniture & Apparatus& Material Consumption	6,000,000.00
12	Pension and Gratuity	100,000.00
13	Petrol / Diesel for Vehicle/Maintenance	2,600,000.00
14	Printing and Unit Writing/Dev. of Course Material	12,000,000.00
15	Printing/Books Purch./Publishin	70,000,000.00
16	Reimbursement of Medical Expenses	1,600,000.00
17	Remuneration	22,000,000.00
18	Rent and Taxes	5,000,000.00
19	Small Construction Work& Related Work & Wages	7,000,000.00
20	Spl. Exp/UPNL/Acd. Assoc./Adm. Con./Ext. Ser Prov	40,000,000.00
21	Staff Car Purchase	2,000,000.00
22	Staff Training & Dev.	2,000,000.00
23	Telephone Expenses	1,000,000.00
24	Transfer Travelling Allowance	50,000.00
25	Travelling Expenses	2,200,000.00
26	Vocational Edu. & Res./Medicines	2,200,000.00
27	Wages	250,000.00
28	Water Expenses	100,000.00
	Total (C)	400,250,000.00
	Grant Total (A+B+C)=	688,350,000.00


Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haridwari (Nainital)


कुलप्रधानी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 15:04— ऑन लाईन कार्यशाला/ प्रयोगात्मक परीक्षा/मौखिकी परीक्षा हेतु भुगतानित मानदेय/पारिश्रमिक की कार्योत्तर स्वीकृति।

कोविड-19 की असामान्य परिस्थितियां के दृष्टिगत शैक्षणिक कार्य, कार्याशाला/प्रयोगात्मक परीक्षा/मौखिक परीक्षा ऑनलाईन माध्यम से जारी रहीं, जिसमें विशेषज्ञों को वित्त समिति में पारित पूर्व सामान्य दरों के अनुसार ही मानदेय/पारिश्रमिक अनुमन्य प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए भविष्य में ऑनलाईन माध्यम से की जाने वाली शैक्षणिक गतिविधिया, कार्याशाला/ प्रयोगात्मक परीक्षा/मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार/व्याख्यान/समितियों आदि के लिए विचारोपरांत सामान्य दरों से ही मा0 कुलपति जी द्वारा अनुमन्य भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गया।

मद संख्या 15:05— विश्वविद्यालय कार्मिकों को पुराने एनपीएस ब्याज का आवंटन दिनांक 11.08.2021 की तिथि को खाते में जमा धनराशि के आधार पर किए गए, भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

14वीं वित्त समिति, दिनांक 06.02.2021 के कार्यवृत्त मद संख्या-14.22 पर अनुमोदनोपरांत समिति द्वारा कार्मिकों के पेंशन अंशदान की 'बैंक ऑफ बड़ौदा' में जमा धनराशि पर प्राप्त ब्याज के विभाजन के संबंध में अंशदान पर प्राप्त ब्याज को कार्मिकों की धनराशि जमा अवधि तथा धनराशि के आधार पर बांटे जाने की संस्तुति प्रदान की गयी। ब्याज की धनराशि को कर्मचारीवार आवंटन 31 मार्च, 2021 की तिथि के अनुसार किये जाने की संस्तुति की गयी। वित्त समिति के कार्यवृत्त पर विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 11, फरवरी, 2021 के प्रस्ताव संख्या-29.09 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः वित्त समिति व कार्यपरिषद के निर्णय अनुपालन में दिनांक 31.03.2021 को 'बैंक ऑफ बड़ौदा' खाता संख्या-18490100011631 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अवशेष कुल धनराशि रू0 33,65,006/- को कर्मचारीवार आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी किन्तु माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2021 में लॉकडाउन एवं कोविड-19 की असामान्य परिस्थितियों के कारण ब्याज आवंटन संबंधी कार्यवाही में व्यवधान रहा। स्थितियां सामान्य होने पर वित्त अनुभाग द्वारा पुनः बैंक विवरण बैंक से प्राप्त किया गया जिसमें कुल धनराशि बढ़कर दिनांक 11.08.2021 के अनुसार रू0 34,38,109/- हो गयी। चूंकि बढ़ी हुई धनराशि कार्मिकों की ही थी एवं कार्मिकों को दी जानी थी अतः ब्याज गणना दिनांक 11.08.2021 की प्रास्थिति के बैंक विवरण के अनुसार कुल अवशेष धनराशि रू0 रू0 34,38,109/- पर की गयी। ब्याज धनराशि कार्मिकों के प्रान (PRAN) खातों में जमा कर दी गयी है एवं दिनांक 11.08.2021 की स्थिति के अनुसार धनराशि पर ब्याज आवंटन की कार्यवाही पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या 15:06— प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-102/XXIV-C-1/2022-04(07)/2019 दिनांक- 11 फरवरी, 2022 द्वारा विश्वविद्यालय के स्वयं के संसाधनों से अर्जित धनराशि के उपयोग के संबंध में।

समिति उपरोक्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-102/XXIV-C-1/2022-04(07)/2019 दिनांक 11 फरवरी, 2022 से अवलोकन किया गया एवं सम्यक विचारोपरांत वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को स्पष्ट

दिशा-निर्देश दिये जाने हेतु संदर्भित किये जाने की सहमति व्यक्त की तथा वर्तमान में अद्यतन शासन के निर्देशों के उपरांत ही विश्वविद्यालय में कार्यवाही किये जाने सहमति दी गयी।


मद संख्या 15:07- परीक्षा समिति की 15वीं बैठक दिनांक 17.02.2022 के कार्यवृत्त से, 15वीं वित्त समिति के समक्ष प्राप्त बिन्दुओं पर विचार एवं अनुमोदन।


परीक्षा समिति की 15वीं बैठक दिनांक 17.02.2022 में वित्तीय उपाशय संबंधी निम्न बिन्दुओं पर समिति द्वारा अवलोकन एवं विचारोपरांत यथाप्रस्तावित अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्तावित बिन्दु	वित्तीय टिप्पणी				
विद्यार्थियों को प्रदान किये जाने वाले मूल व द्वितीय प्रति उपाधि/ डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र, एक विषय प्रमाणपत्र, अन्तरिम उपाधि प्रमाणपत्र एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र के आवेदन शुल्क बढ़ाये जाने के प्राप्त प्रस्ताव पर विचार।	विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले मूल व द्वितीय प्रति उपाधि/ डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र, एक विषय प्रमाणपत्र, अन्तरिम उपाधि प्रमाणपत्र एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र शुल्क में वर्ष 2016 से कोई वृद्धि नहीं की गयी है। अतः अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की शुल्क धनराशि व विश्वविद्यालय हित को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में आगामी प्रवेश/परीक्षा सत्र से शुल्क वृद्धि किये जाने पर परीक्षा समिति द्वारा निम्नानुसार वृद्धि की गयी -				
	क्र. स.	आवेदन	वर्तमान शुल्क	परीक्षा समिति संस्तुति/ अनुमोदित शुल्क	वित्त समिति द्वारा अनुमोदित
	1	मूल उपाधि डिप्लोमा/ डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र	300/-	500/-	500/-
	2	द्वितीय प्रति उपाधि डिप्लोमा/ डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र	300/-	500/-	500/-
	3	द्वितीय प्रति (Duplicate Copy) अंकतालिका/ ट्रांसक्रिप्ट	300/-	500/-	500/-
	4	एकल विषय प्रमाणपत्र, अन्तरिम उपाधि प्रमाणपत्र एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र	100/-	200/-	200/-
	उक्त सभी स्तर की निर्धारित दरों में वृद्धि किये जाने की संस्तुति परीक्षा समिति द्वारा की गयी है।				

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में बेहतर वित्तीय नियोजन के उद्देश्य से कॉर्पस फण्ड धनराशि की व्यवस्था हेतु परीक्षा मद से प्राप्त आय का 25 प्रतिशत अनिवार्य रूप से तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय में बचतों के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि जमा किये जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इंगित तालिका का भी अवलोकन कर प्रस्तुत दरों पर भी स्वीकृति प्रदान की।

5


 Finance Controller
 Uttarakhand Open University
 Haridwari (Mahatal)


 कुलपति
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 15:08— पाठ्यक्रम शुल्क निर्धारण समिति की दिनांक 28.02.2022 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णयों पर विचार एवं अनुमोदन।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम शुल्क पुर्नगठन हेतु गठित समिति की संस्तुतियों का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तावित/संस्तुतियों को औचित्यपूर्ण मानते हुए सम्यक विचारोपरांत यथा प्रस्तावित/संस्तुति को आगामी ग्रीष्मकालीन सत्र जुलाई, 2022 से लागू किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 15:09 मान्यता बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु दरों के पुनरीक्षण किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार

वित्त समिति द्वारा मान्यता बोर्ड की संस्तुतियों का अवलोकन किया गया एवं मान्यता बोर्ड की यथा संस्तुतियों को आगामी ग्रीष्म कालीन सत्र जुलाई, 2022 से लागू किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। चूंकि अध्ययन केन्द्रों एवं अन्य कार्यों पर होने वाला व्यय छात्रों से प्राप्त शुल्कादि से प्रतिपूरित किया जाता है, इस संशोधन के फलस्वरूप विश्वविद्यालय पर कोई अतिरिक्त व्ययभार नहीं पड़ेगा।

मद संख्या 15:10 विश्वविद्यालय में संचालित सामुदायिक रेडियो केन्द्र 'हैलो हल्द्वानी' में नियोजित कार्मिकों का मानदेय वृद्धि प्रस्ताव।

अध्यक्ष वित्त समिति (मा0 कुलपति जी) द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो केन्द्र 'हैलो हल्द्वानी' के सुचारु संचालन के संबंध में समिति सदस्यों को अवगत कराया साथ ही इसकी बढ़ती लोकप्रियता की सराहना करते हुए 'हैलो हल्द्वानी' हेतु प्राप्त अनुदान धनराशि के संबंध में अवगत कराया।

वित्त समिति द्वारा 'हैलो हल्द्वानी' के सुचारु संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में मानदेय वृद्धि प्रस्ताव पर निम्नानुसार सहमति प्रदान की गयी एवं कार्यपरिषद् हेतु प्रस्तावित किया है—

1. 'हैलो हल्द्वानी' के सुचारु संचालन हेतु 01 आउटसोर्स कार्मिक नियोजित किए जाने की सहमति प्रदान की है एवं उक्त 01 आउटसोर्स कार्मिक की अर्हता पूर्व से नियोजित कार्मिकों के समान होने पर मानदेय/पारिश्रमि धनराशि रू0 20,000/- (बीस हजार मात्र) प्रतिमाह एवं पूर्व नियोजित कार्मिकों से अधिक योग्य (Highly Qulified) होने की स्थिति में मानदेय/पारिश्रमिक धनराशि रू0 22,000/- प्रतिमाह भुगतान किये जाने किये हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के सम्मुख रखे जाने हेतु प्रस्तावित किया है।


अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव—

1. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम में कार्यशाला शुल्क रू0 1300.00 वर्तमान सत्र जनवरी, 2022 के शुल्क विवरण में सम्मिलित किये जाने संबंध पाठ्यक्रम समन्वयक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्ताव पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत उक्त कार्यशाला शुल्क को आगामी सत्र जुलाई, 2022 से विवि0 शुल्क विवरण में पुनर्निधारित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के सम्मुख रखे जाने हेतु निर्देशित किया है।
2. विश्वविद्यालय कार्मिकों के माँगपत्रों कमशः दिनांक 23.03.2022 एवं दिनांक 26.03.2022 का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरांत बिन्दुवार निम्नवत् सहमति/अनुमोदन प्रदान किया गया—


1. विश्वविद्यालय में तैनात कार्मिकों यथा दैनिक वेतन भोगी/संविदा/प्रशासनिक/तकनीकी परामर्शदाताओं को भुगतानित मानदेय/पारिश्रमिक वृद्धि प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं प्रस्ताव पर पृथक-पृथक चर्चा कर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के सम्मुख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
2. विश्वविद्यालय में तैनात दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को उच्च श्रेणी में रखे जाने हेतु श्रम विभाग के विश्वविद्यालय हेतु शासनादेश उपलब्ध नहीं होने के कारण शासनादेश उपलब्ध होने पर आगामी वित्त समिति के सम्मुख रखे जाने के निर्देश दिये गये।
3. कार्मिकों के मॉगपत्र में प्रस्तावित बिन्दु **One Time Settlement** प्रस्ताव को समिति द्वारा विचार विमर्श कर शासन को संदर्भित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया एवं विश्वविद्यालय स्थापना से कार्यरत श्री मोहन चन्द्र, श्री सत्येन्द्र सिंह रावत एवं श्री दिनेश कुमार को शासन द्वारा निर्गत विनियमितकरण नियमावली 2013 में मा0 न्यायालय के आदेशों के क्रम में संदर्भित शासन के पत्र पर पुर्नविचार किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् को संदर्भित कर दिया गया।
4. विश्वविद्यालय में प्रशासनिक परामर्शदाताओं को भुगतानित मानदेय/पारिश्रमिक वृद्धि प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं प्रत्येक प्रशासनिक परामर्शदाताओं के मानदेय/पारिश्रमिक में निम्नवत् वृद्धि करते हुए भुगतान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। जिससे विश्वविद्यालय में अनुमानित धनराशि रूप्ये 240,000/- मात्र का वार्षिक अतिरिक्त व्यय-भार पड़ेगा तथा तद्विषयक मानदेय/पारिश्रमिक वृद्धि प्रस्ताव पर तीन वर्ष उपरांत ही विचार किया जायेगा। जिसकी पूर्ति शुल्क मद में यथा स्थान परिवर्तन कर की जायेगी।

क्र० सं०	नियोजन जिस रूप में किया गया है	कार्मिक का नाम	वर्तमान में देय मानदेय	समिति द्वारा संस्तुत मानदेय
1.	प्रशासनिक	श्री नरेन्द्र जगूडी	25000/-	27000/-
2.	परामर्शदाता	श्री विनोद कुमार बिरखानी	25000/-	27000/-
3.		श्रीमती कंचन बिष्ट	20000/-	22000/-
4.		श्री राजेन्द्र जोशी	18000/-	20000/-
5.		श्री योगेश चन्द्र गुरुरानी	18000/-	20000/-
6.	तकनीकी	श्री अनिल नैलवाल	18000/-	20000/-
7.	परामर्शदाता (कम्प्यूनिटी रेडियो)	श्रीमती सुनीता भट्ट	18000/-	20000/-
8.	तकनीकी परामर्शदाता	श्री विनय कुमार टम्टा	20000/-	22000/-

5. विश्वविद्यालय में तैनात उपनल कार्मिकों को सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून पत्र संख्या: 1386/XVII-C-1/2021-9(17)2004 टी0सी0-2 दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के द्वारा प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि किये जाने का संस्तुति प्रदान की गयी साथ ही बजट की उपलब्धता का संज्ञान लेते हुए विवि0 कार्यपरिषद् से कार्योत्तर स्वीकृति लिए जाने के निर्देश दिये गये एवं वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि का प्रस्ताव कार्यपरिषद् के अनुमोदन से शासन को संदर्भित करने पर सहमति दी गयी।


 Finance Controller
 Uttarakhand Open University
 Haldwani (Nainital)

7


 कुलपति
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)


6. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5 देहरादून शासनादेश संख्या: 813/XXVIII(5)/2021-116 2003टी0सी0, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने हेतु वर्गीकरण एवं मासिक परिलब्धियों की भाँति विश्वविद्यालय में बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनात कार्मिकों को अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणी हेतु देय परिलब्धियाँ प्रदान जाने का संस्तुति प्रदान की गयी साथ ही बजट की उपलब्धता का संज्ञान लेते हुए विवि0 कार्यपरिषद् में अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरांत ही विवि0 में लागू किये जाने के निर्देश दिये गये। उपरोक्त शासनादेश को तदनुरूप विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् से अंगीकृत कर यथोचित कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
7. विश्वविद्यालय में तैनात कार्मिकों दैनिक वेतन भोगी/संविदा आदि को विश्वविद्यालय की आन्तरिक व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष में दो बार भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में रुपये एक-एक हजार मात्र प्रति प्रोत्साहन राशि (वार्षिक रुपये 2,000/-)की वृद्धि एवं सुरक्षाकर्मियों को रुपये एक हजार प्रति सेमेस्टर (कुल 2,000/- वार्षिक) प्रोत्साहन राशि परीक्षा मद से भुगतान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
8. वित्त समिति द्वारा कार्मिकों के हितार्थ एक स्पष्ट सेवा नियमावली बनाये जाने हेतु समिति गठन पर सहमति प्रदान किया गया तथा कार्यपरिषद् से दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाने का भी सुझाव दिया।
9. विश्वविद्यालय में तैनात दैनिक वेतन कार्मिकों को विश्वविद्यालय में तैनात उपनल कार्मिकों के मानदेय/पारिश्रमिक वृद्धि हेतु समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मानदेय/पारिश्रमिक वृद्धि किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
10. विश्वविद्यालय में शासन से प्राप्त होने वाले बजट में विश्वविद्यालय स्तर पर DDO कोड आबंटित नहीं होने के कारण शासकीय बजट में होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वित्त नियंत्रक को DDO कोड आबंटित किये जाने की संस्तुति दी गयी तथा कार्यपरिषद् के अनुमोदन सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।
11. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्मिक मॉग-पत्र, ज्ञाप इत्यादि जो वित्त समिति से संबंधित नहीं हैं को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् को संदर्भित किया गया।

सचिव, वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अध्यक्ष एवं उपस्थित सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक को समाप्त किये जाने की घोषणा की।



सचिव,
वित्त समिति

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)



अध्यक्ष
वित्त समिति

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)